बी. सी. स्कूल अधिनियम

लचीले (फ्लेक्सिबल) दिशा निर्देश

सभी स्कूल ज़िलों को यह अधिकार प्राप्त हैं कि वह अपने ज़िले की जरूरतों को सर्वोतम तरीके से पूरा करने के लिए नीतियाँ बनाए।

अन्य स्कूल ज़िलों के छात्रों को स्वीकार करने के संबंध में, बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन को सर्वप्रथम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

- वे छात्र जो स्कूल के निर्धारित सीमा क्षेत्र में रहते हैं;
- जो छात्र पहले से ही स्कूल में हैं उनके भाई, बहनों को; और
- अन्य छात्रों को जो उसी ज़िले में रहते हैं।

यदि स्कूल और प्रोग्राम में जगह है, तो ज़िला अपने ज़िले से बाहर के छात्रों को भी स्वीकार कर सकता है।

VSB

“The British Columbia School Act”

[Hindi]

यह ब्रोशर वैनकूवर स्कूल बोर्ड के सैटलमेंट वर्कर्ज़ (VSB SWIS) द्वारा प्रायोजित किये गए कई ब्रोशरों में एक है। इसकी रचना कुछ ई.एस.एल. (ESL/ELL) शिक्षकों तथा वैनकूवर स्कूल बोर्ड के मल्टीकल्चरल लिएजों वर्कर्ज़ (VSB MCLW) ने की है।

Canada | British Columbia The Best Place on Earth | WelcomeBC

यह ब्रोशर कनाडा और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की सरकार से धन के माध्यम से संभव बनाया गया है।

ब्रिटिश कोलंबिया स्कूल अधिनियम

यह आपके बच्चे की शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है

बी. सी. स्कूल अधिनियम

बी.सी. शिक्षा प्रणालियों के लिए क्या आदेश है?

"शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है कि शिक्षार्थी अपने आप को समर्थ बना सकें ताकि वह पूरी क्षमता से अपना विकास कर सकें और ऐसे ज्ञान, गुण और अभिवृति अपना सकें, जो एक स्वस्थ समाज एवं समृद्ध और चिरस्थाई अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए जरूरी है ।"

स्कूल अधिनियम की धारा *169 (3)*

बी. सी. स्कूल अधिनियम क्या है ?

बी.सी. शिक्षा मंत्रालय, स्कूल अधिनियम के माध्यम से, शिक्षा बोर्डो को निर्देश देता है कि उन्हें क्या करना चाहिए । कुछ निर्देश बहुत विशिष्ट हैं क्योंकि वे प्रांत के सभी ज़िलों में लागू होते हैं। अन्य निर्देश शिक्षा बोर्डों को अपनी नीतियाँ बनाने के लिए अनुमति देते हैं। यह स्कूल अधिनियम के अनुकूल होनें चाहिएं, लेकिन अलग-अलग ज़िलों की परिस्थितियाँ / ज़रूरतों के हिसाब से ।

विशिष्ट निर्देश

सभी स्कूल जिलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए:

- कि ब्रिटिश कोलंबिया के निवासियों को मुफ्त पब्लिक स्कूली शिक्षा दी जाए। (निवासी वह परिवार हैं जो बी. सी. में रहते और करों का भुगतान करते हैं।)
- 5 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा दी जाए।
- कि एक व्यक्ति जो किसी भी वर्ष में 1 जुलाई के बाद 19 साल का हो जाता है, सितंबर में स्कूल में दाखिला ले कर उस स्कूल वर्ष की पढ़ाई कर सकता है ।
- कि 5 से 16 साल की उम्र के छात्रों को शिक्षा <u>अनिवार्य</u> रूप से मिलनी चाहिए।
- छात्रों को अधिकार है कि वह अपने जिले के स्कूल में जाएँ ।

-कि छात्रों को अधिकार है कि वह प्रांत के किसी भी स्कूल में दाखिला लेने के लिए <u>आवेदन</u> कर सकते हैं ।